छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

वित्त समिति की बैठक

दिनांक : 31-03-2021 सांयः 5:30 बजे, दिन : बुधवार

स्थान : एकेडमिक भवन, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में आयोजित बैठक की कार्यवाही

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए-

1.	**प्रो० डी०आर० सिंह** कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	**श्री अजय जौहरी,** अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर। (प्रमुख सचिव वित्त, द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य
3.	**डॉ० रिपुदमन सिंह,** क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर। (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य
4.	**डॉ० अनिल कुमार यादव** कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	**साधना श्रीवास्तव** वित्त अधिकारी छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

::कार्यवाही::

सचिव द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए परिचय कराया गया तथा अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

<u>प्रस्ताव सं० :: 01</u>

वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.03.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

पिछली वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.03.2021 के कार्यवृत्त, Action Taken Report सम्पुष्टि हेतु ,संलग्न कर सादर प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रमश......2 पर

प्रस्ताव सं0 :: 02

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2019–2020 के वास्तविक आय–व्ययक के आंकड़े एवं वित्तीय वर्ष 2020–2021 का पुनरीक्षित आय–व्ययक। वर्ष 2021–2022 के आय–व्ययक अनुमान के अनुमोदन पर विचार।

उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–2022 के बजट पर अनुमोदन प्रदान किया गया किन्तु यह भी अपेक्षा की गयी कि 6 माह के बाद आय एवं व्यय के वास्तुविक आंकड़ो के आधार पर पुर्नअवलोकन कर लिया जाय तथा यदि आवश्यक हो तो पुनरीक्षित अनुमान तैयार कर पुनः वित्त संमिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या–03

विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश–2014 के बिन्दु संख्या–9.3 एवं बिन्दु संख्या–9.06 में वर्णित समय–सीमा तथा लिये जाने वाले शुल्क के प्रस्ताव पर विचार।

(क) शोध करने वाले शोधार्थियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब की दशा में शोध पंजीकरण की निरन्तरता के लिए छःमाह हेतु रु0 500/– शुल्क निर्धारित है। 6–6 माह के लिए दो बार और रु0 500/–शुल्क देकर निरन्तरता (अधिकतम 3 छमाही) बनाये रखने के लिए कुलपति महोदय द्वारा आदेशित कर दिया जाता है।

शाोध की गुणवत्ता तथा शोध में अनुशासन बनाये रखने के लिए उपरोक्त शुल्क को बढाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

क्रसं.	विलम्ब की अवधि	विलम्ब शुल्क की धनराशि
01.	एक छःमाही	1,000/–
02.	दो छःमाही	1,500/–
03.	तीन छःमाही	2,000/–

यदि निरन्तर तीन छःमाही से अधिक विलंम्ब होने की स्थिति होती है तो प्रगति आख्याएं जमा न कर वापस कर दी जायेगीं।

(ख) शोध प्रबन्ध हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा 4 वर्ष है। विशिष्ट परिस्थियों में छात्रों द्वारा यदि इस सीमा के भीतर शोध कार्य पूर्ण कर अपना शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता हैं तो निम्नानुसार अधिकतम 2वर्ष का विस्तरण, शुल्क जमा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा विश्विद्यालय के अधिनियम के अनुसार अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव।

क्रसं.	विस्तरण की अवधि	शुल्क की धनराशि
01.	6 माह	रु0 3,000/–
02.	01 वर्ष	रु0 5,000/–
03.	02 वर्ष	रु0 7,000/–

उपरोक्त प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा विचार कर यह निदेश प्रदान किये कि प्रस्ताव संख्या–03 के (क) शुल्क न बढ़ाया जाय पूर्ववत रु0 500/–ही रखा जाय तथा सामान्यता एक से अधिक बार विलम्ब की स्थिति होने पर प्रगति आख्याएं जमा न कर (विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश–2014)वापस कर दी जायेगीं तथा उपरोक्त प्रस्ताव संख्या–3 (ख) को समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रमशः 3 पर

पूरक कार्य-सूची
अन्य विषय (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

प्रस्ताव संख्याः 01

विश्वविद्यालय परिसर के फार्मेसी विभाग में सम्बद्ध मेडिसनल गार्डेन में लगें हुए मेडिसनल और ऐरोमेटिक प्लांट्स का कल्टीवेशन एवं मेटिनेंस हेतु एक तकनीकी सहायक/एक्सपर्ट रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर के फार्मेसी विभाग में सम्बद्ध मेडिसनल गार्डेन में लगे हुए मेडिसनल और ऐरोमेटिक प्लांट्स का कल्टीवेशन एवं मेटिनेंस हेतु एक तकनीकी सहायक/एक्सपर्ट(एम.एससी.ए.जी.–हर्टीकल्चर) की नितांत आवश्यकता है, जिससे मेडिसनल गार्डेन में लगे हुए मेडिसनल एण्ड ऐरोमेटिक प्लांट की नियमित रूप से देख–रेख/कल्टीवेशन की जा सके और संबंधित शोध कार्य सफलता पूर्व निष्पादित किया जा सके।

अतः मेडिसनल गार्डेन हेतु उपरोक्तानुसार एक तकनीकी सहायक/एक्सपर्ट को सेवा प्रदाता के माध्यम से रखे जाने का प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्त प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से सेवा प्रदाता के माध्यम से निर्धारित पारिश्रमिक रु0 25,000/–पर रखे जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या–02

विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत छठे वेतनमान पर कार्यरत शिक्षको को नियमानुसार देय वार्षिक Annual Increment की तिथि प्रतिवर्ष 01 जुलाई निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में असि0 प्रोफेसर वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007 व 2009 से कार्यरत है। छठे वेतनमान का लाभ अप्रैल, 2019 से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जा रहा था किन्तु इनको वर्ष 2019 में कोई वार्षिक Increment प्रदान नहीं किया गया है। वर्ष 2020 में वार्षिक Annual Increment के सम्बंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.11.2020 मद संख्या–11 के निर्णय के अनुसार जुलाई, 2020 से प्रथम वार्षिक Increment July, 2020 में दिया गया है। कार्यपरिषद के निर्णय में शिक्षकों को देय वार्षिक Increment की तिथि जुलाई, 2020 अंकित है, जबकि यह तिथि प्रति वर्ष 01 जुलाई होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षकों को आगामी वर्षों में देय वार्षिक Increment वृद्धि प्रति वर्ष मिलती रहेगी।

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत छठे वेतनमान पर कार्यरत शिक्षको को नियमानुसार देय वार्षिक Annual Increment की तिथि प्रतिवर्ष 01 जुलाई निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्त प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

31/3/21

(साधना श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी/सचिव

(प्रो. डी. आर. सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष